

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या

50 / 2020

निर्णय दिनांक 20.7.20

उनवान

1. हजारी पुत्र जगदीश
2. कृष्ण कुमार पुत्र बाबू लाल
3. रामप्रसाद पुत्र जगदीश
4. रामराय पुत्र जगदीश
5. रामरतन पुत्र बाबूलाल

समस्त बारागांव ब्राह्मण, निवासीयान ग्राम आकोडिया तहसील
चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चाकसू।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद के करवाने बाबत।


प्रार्थी ग्राम आकोडिया तहसील चाकसू में खातेदार काशतकार है
जिनके आराजी खसरा नम्बर 1545 रकबा 0.03 है0 खसरा नं0 1549 रकबा 0.02
0 कुल किता 2 रकबा 0.05 भूमि वाके ग्राम आकोडिया तहसील चाकसू जिला
जयपुर में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी उक्त
खातेदार भूमि की पत्थर गढी करवाने हेतु निवेदन किया गया है, प्रार्थी द्वारा
उक्त भूमि का सीमाज्ञान पूर्व दिनांक 26.06.2020 को करवा दिया गया प्रार्थना
पत्र पत्थरगढी पेश किये जाने पर गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

सरकार लिया गया जो संलग्न मिसल है वकील प्रार्थिया को सुना गया व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1545 रकबा 0.03 है0 खसरा नं0 1549 रकबा 0.02 है0 भूमि वाके ग्राम आकोडिया तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है की भूमि पत्थरगढी अप्रार्थीगण व अप्रार्थी एवं पडौसी काश्तकारों की मौजूदगी में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा फसल कटने के बाद पत्थरगढी की जावे। साथ ही उक्त आदेश केवल उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी
(एस0डी0एम0) चाकसू